उत्तर प्रदेश सरकार
चिकित्सा अनुभाग-10
संख्या-1239/पांच-10-96-57औषधि/95टी०सी०
लखनऊ : दिनांक 15 मई 1996

कार्यालय-ज्ञाप

मा० सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा जनहित याचिका सं०-रिट पिटीशन (सिविल) सं०-91/1992कामन काज सोसायटी बनाम यूनियन आफ इण्डिया और राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश में पारित निर्णय दिनांक 4 जनवरी, 1996 के अनुपालन में प्रदेश में रक्त कोषों के संचालन, रक्त संग्रह आदि पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने के दृष्टिकोण से सुझाव देने के लिए निम्नांकित राज्य परिषद का गठन किये जाने हेतु राज्यपाल महोदय आदेश प्रदान करते हैं :-

| | | |
|---|---|---|
| (1) | प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उ० प्र० । | अध्यक्ष |
| (2) | विशेष सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उ० प्र० । (चिकित्सा अनुभाग-10 के कार्य से सम्बद्ध ) | सदस्य |
| (3) | महा निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य उ० प्र०। | सदस्य |
| (4) | निदेशक, चिकित्सा एवं उपचार, उ० प्र० । | सदस्य |
| (5) | औषधि नियंत्रक, उत्तर प्रदेश । | सदस्य |
| (6) | राज्य एड्स नियंत्रण प्रोग्राम अधिकारी, उ० प्र० । | सदस्य |
| (7) | प्रधानाचार्य, के० जी० मेडिकल कालेज, लखनऊ/ विभागाध्यक्ष, पैथालाजी विभाग, के०जी० मेडिकल कालेज, लखनऊ । | सदस्य |
| (8) | निदेशक, संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ/ विभागाध्यक्ष, पैथालाजी विभाग, संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ । | सदस्य |
| (9) | सचिव, वित्त विभाग, उ०प्र०/सचिव वित्त विभाग के प्रतिनिधि । | सदस्य |
| (10) | सचिव, रेडक्रास सोसायटी, लखनऊ । | सदस्य |
| (11) | अध्यक्ष, इण्डियन मेडिकल एसोसिएशन उ०प्र० । | सदस्य |
| (12) | प्राइवेट ब्लड बैंकों के दो अनुज्ञापी जिन्हें राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर नामित किया जाय । | सदस्य सदस्य |
| (13) | स्वैच्छिक समाज सेवी संगठन के सम्बद्ध दो व्यक्ति जिन्हें राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर नामित किया जाय । | सदस्य |

[14] प्रमुख अधीक्षक, बलरामपुर, चिकित्सालय। सदस्य/सचिव

2- उक्त राज्य परिषद का कार्य क्षेत्र निम्नवत होगा:-

[1] रक्त कोषों के लिए स्वैच्छिक रक्त दाताओं को प्रेरित करने के लिए उपाय/सुझाव देना ।

[2] रक्त कोषों में कार्यरत कार्मिकों के प्रशिक्षण पर सुझाव देना ।

[3] रक्त कोषों के आधुनीकीकरण के लिए सुझाव देना ।

[4] रक्त कोषों से सबंधित गठित राष्ट्रीय परिषद का सुझाव प्राप्त करना ।

[5] इस प्रकरण पर मा० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस प्रकरण में दिये गये निर्णय में उल्लिखित बिन्दुओं के अनुरूप परामर्श देना तथा इसके कार्यान्वयन के लिए दिशा निर्देश/संस्तुति देना ।

[6] विषय से सबंधित किसी अन्य बिन्दु जिसे परिषद आवश्यक समझे, पर भी विचार कर दिशा निर्देश देगी ।

3- उक्त परिषद का कार्यालय बलरामपुर चिकित्सालय, लखनऊ के परिसर में स्थापित होगा ।

4- परिषद के सदस्य सचिव आवश्यकतानुसार बैठकों का आयोजन अध्यक्ष की अनुमति प्राप्त कर सुनिश्चित करायेंगे ।

5- परिषद में आवश्यकतानुसार अन्य अधिकारियों एवं विशेषज्ञों को भी आमंत्रित किया जा सकता है ।

6- परिषद के राजकीय सेवा के सदस्यों का यात्रा भत्ता उसी लेखा शीर्षक से देय होगा जिस शीर्षक से वह वेतन प्राप्त कर रहे हैं ।

7] परिषद के क्रम संख्या-12 में उल्लिखित सदस्यों, जो रक्त कोषों के अनुज्ञापी हैं, कि सदस्यता औषधि एवं प्रसाधन नियमावली के विरुद्ध कार्य करने अथवा अनुज्ञप्ति निरस्त होने की दशा में स्वतः समाप्त समझी जायेगी । यह सदस्यता अधिकतम 2 वर्षों के लिए होगी यदि इसे इस अवधि के पूर्व ही राज्य सरकार द्वारा समाप्त न कर दिया जाय ।

8] परिषद के क्रमांक-13 में उल्लिखित सदस्यों की सदस्यता 2 वर्ष के लिए होगी जिसे इस अवधि के बीच में ही यह समाधान हो जाने पर कि इनकी सदस्यता की अब आवश्यकता नहीं है, शासन द्वारा समाप्त की जा सकती है ।

9] परिषद की वित्तीय व्यवस्था हेतु अलग से आदेश निर्गत किये जायेंगे ।

10] अध्यक्ष यदि आवश्यक समझते हैं तो अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए कार्यक्षेत्र में

2/.....

अन्य बिन्दुओं को सम्मिलित कर सकते हैं। एक माह में 3 बार बैठक बुला सकते हैं।

सुमिता काण्डपाल
प्रमुख सचिव।

संख्या-1239 (1)/पांच-10-96-57औषधि/95, तद्दिनांक,

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

(2) महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उत्तर प्रदेश, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ।

(3) औषधि नियंत्रक, उत्तर प्रदेश, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ।

(4) संबंधित कमेटी के अध्यक्ष एवं समस्त सदस्य गण।

(5) समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

(6) निदेशक, सूचना विभाग, उ०प्र० लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त कमेटी के गठन की सूचना समस्त समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाकर व्यापक प्रचार-प्रसार कराने का कष्ट करें।

(7) चिकित्सा शिक्षा एवं चिकित्सा विभाग के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,
(राम रामास्वामी)
विशेष सचिव।